



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,



क्रमांक एफ 20(6)(12)निमअ/बजट/2018-19/

दिनांक :-

सहायक निदेशक

महिला अधिकारिता

राजसमंद, भीलवाड़ा, नागौर, श्रीगंगानगर, पाली, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, चूरु, हनुमानगढ़ ।

विषय :- बजट आवंटन करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्न बजट मद में निम्न जिलो को निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला	बजट मांग	बजट मद
1	राजसमंद	200.00	2235-02-196-02-01-28 साथिन विविध व्यय (सामान्य)
2	भीलवाड़ा	100.00	2235-02-196-02-03-28 साथिन विविध व्यय (टीएसपी)
		100.00	2235-02-196-02-05-28 साथिन विविध व्यय (एससीएसपी)
3	नागौर	2500.00	
4	श्रीगंगानगर	1000.00	2235-02-196-02-01-42 साथिन मानदेय (सामान्य)
5	राजसमंद	4000.00	
6	पाली	4800.00	
7	जयपुर	2300.00	
8	भरतपुर	2000.00	
9	भीलवाड़ा	4500.00 X	2235-02-196-02-05-42 साथिन मानदेय (एससीएसपी)
10	अजमेर	1045.00	623.00
11	चूरु	2500.00 X	
12	हनुमानगढ़	1836.00	
		3.400	2235-02-196-02-02-12 महिला कल्याण कोष (सामान्य)

उपरोक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग राज्य सरकार एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करे।

(नीति धीमन)

वित्तीय सलाहकार

महिला अधिकारिता विभाग

राजस्थान, जयपुर

दिनांक :- 5/6/18

क्रमांक एफ 20(6)(12)निमअ/बजट/2018-19/

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त निदेशक म.अ.

2. एससीपी, म.अ. मुख्यालय को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

लेखाधिकारी

महिला अधिकारिता विभाग